भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1391
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

**जमानत के लिए फार्मूला**

**1391 # श्री रामजी लाल सुमन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों में जमानत प्रदान किए जाने हेतु कोई निश्चित फार्मूला निर्धारित नहीं है ;

(ख) क्या वर्ष 2015 में मंत्रालय ने विधि आयोग से जमानत संबंधी कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था ;

(ग) क्या जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों को जमानत प्रदान किए जाने में हो रहे विलंब को देखते हुए, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु जमानत प्रदान किए जाने के लिए ऐसे फार्मूले को तैयार करने पर विचार करेगा, जिसके आधार पर न्यायालय जमानत प्रदान कर सकें ; और

(घ) तीन वर्ष से अधिक अवधि से जेलों में बंद और जमानत की प्रतीक्षा कर रहे आरोपियों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ग) :** सरकार द्वारा वर्ष 2015 में भारत के विधि आयोग से भारत में जमानत अधिनियम की आवश्यकता की परीक्षा करने का अनुरोध किया गया था । भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट संख्या 268 में भारत में ज़मानत सुधारों के संबंध में अपने सुझाव अग्रेषित किए । सभी संबंधित पणधारियों के साथ गहन परामर्श और विचार-विमर्श के पश्चात्, संसद् में तीन विधेयक, भारतीय दंड संहिता, 1860 को निरसित करने के लिए भारतीय न्याय

संहिता विधेयक, 2023, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरसित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरसित करने के लिए भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023, पुर:स्थापित किए गए, जिन्हें संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई और तारीख 25.12.2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया । भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, तारीख 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुए ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 478 से धारा 496 में 'जमानत और बंधपत्र के बारे में उपबंध' दिए गए हैं ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 (1) यह उपबंध करती है कि "जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ।"

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 (1) के अधीन परंतुक प्रथम बार के अपराधी/विचारणाधीन कैदियों के लिए और अनुतोष का उपबंध करता है और यह उपबंध करता है कि "ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और जिसे (पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है ।" इसके अतिरिक्त, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अधीन ई-प्रीसर्नस पोर्टल से तकनीक-आधारित अलर्ट सृजित किए जाते हैं और विचारणाधीन कैदियों की समय पर रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं ।

**(घ) :** नेशनल रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों (31.12.2024 तक) के अनुसार, देश में, तीन वर्ष से अधिक समय से जेलों में 29,936 विचारणाधीन कैदी हैं ।

*******